आवंटन–अनुदान सं0–14
लेखाशीर्षक–2515001011800

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

उपनिदेशक (पं0)/आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0।

संख्या–1/शा0/22/2025–1/19/2025 लखनऊ दिनांक मई, 2025

विषय–चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–18–डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजनान्तर्गत आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 405.00 लाख का आवंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उप सचिव पंचायती राज अनुभाग–3 के पत्र संख्या–1/963552/2025–33–3002(002)/6/2023 दिनांक 15.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान सं0–14 के लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–18–डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना में प्राविधानित धनराशि रू0–**4,05,00,000/– (रू0 चार करोड़ पाँच लाख मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि **रू0–4,05,00,000/– (रू0 चार करोड़ पाँच लाख मात्र)** निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है–

1. आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–6/2025/बी–1–352/दस–2025–231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए वह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नोडल अधिकारी का होगा।
3. उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
4. धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाईडलाइन/दिशा–निर्देश तथा इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–18–डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के नामे डाला जायेगा।
6. शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–4/2018/आर.जी.

–1021/दस/2018–मित0–1/2017 दिनांक 18.09.2018 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

7. आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंवटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
8. आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में जमा नहीं की जायेगा।
9. आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना (नई योजना) के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा–निर्देश (गाइड लाइन) के शासनादेश संख्या–81/2016/2689/33–3–2016–100(33)/2015 दिनांक 20.10.2016 के अनुसार किया जायेगा।
10. आवंटित की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा।
11. आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
12. आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर योजना प्रभारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगें।
14. धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूप पत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं0–81 पर अंकित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

20/5/25

(अमित कुमार सिंह)
निदेशक,
पंचायती राज उ0प्र0।

सं0–1/शा0/22/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त (आय–व्ययक), अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
6. उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, डॉ0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
7. एस0पी0एम0यू0 पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

22/05/25

(अमितोष श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज उ0प्र0।